<u>**निर्वाचन/तत्काल**</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-।।/2017 दिनांक: 03 अक्तूबर, 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
1. पंजाब
2. केरल

विषय: लोक सभा तथा राज्य विधान सभा हेतु उप-निर्वाचन, 2017-एग्जिट पोल-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे इसके साथ आयोग की दिनांक 03 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-।।/2017 इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाया जाए और उसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(अभिषेक तिवारी)
अनुभाग अधिकारी

पंजाब और केरल
राज्य के शासकीय
राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

संख्या 576/एक्ज़िट/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एस.डी.आर/खण्ड-II/2017 तारीख- 3 अक्तूबर, 2017

अधिसूचना

यतः पंजाब एवं केरल के संसदीय एंव राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन के संबंध में कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 12-09-2017 की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/73/2017 के द्वारा की जा चुकी है,

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा,

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्‌द्वारा, 11-10-**2017 (बुधवार)** को **पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 12 सितम्बर 2017, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/73/2017 के द्वारा घोषित पंजाब में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहितए प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा ।

आदेश से,

(एन.टी.भूटिया)
सचिव